



No 012941

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

संख्या 1840

( ऐक्ट 21, 1860 )

वर्ष 2009-10.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि "ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान"  
ग्राम-गादी कटौना, पो-कटौना, जिला-जमुई (बिहार).

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख दस मास नवम्बर वर्ष दो हजार नौ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

SECRETARY

Principal

"संस्था निबन्धन अधिनियम, 21, 1860 के अधीन निबन्धन विभाग मात्र संस्था का निबन्धन करता है। इसे संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण नहीं समझा जाना चाहिए। संस्था को वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु भी इस प्रमाण-पत्र को अनुशांसा नहीं माना जाए।"

यास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI  
116,000-23-9-2009-पो एन० गिह

पत्र संख्या-बी01/10 3-10-2505/09. / 2448

निबंधन महाविश्वविद्यालय, बिहार, पटना का कार्यालय, बिहार।  
(दाखिल करने का प्रमाण-पत्र)

ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान.

.....  
.....  
.....


के संबंध में।

पटना, दिनांक 10/11/2009

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के उपबंधों के अनुसार यथावत दाखिल/नियंत्रित/अनिलिखित किया/किये गये हैं।

फीस का ज्ञाप रु० 50/- (पचास रुपये) मात्र।

संस्था का स्तुति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अनिष्ठागत प्रति.लेख।



वास्तु, निबंधन महाविश्वविद्यालय,  
बिहार, पटना।

सचिव/अध्यक्ष

ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान

ग्राम-गादी कटौना, पो०-कटौना,

जिला-जमुई (बिहार)।

की संख्या में उनके पत्र संख्या-..... दिनांक-30.10.09. के प्रसंग में अप्रसारित।


निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्राप्ति की सूचना दें।



SECRETARY  
BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI



Principal  
BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

  
वास्तु, निबंधन महाविश्वविद्यालय,  
बिहार, पटना।

# ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान

का

## स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान होगा ।
2. नियंत्रित कार्यालय :- इस संस्था का नियंत्रित कार्यालय पता:- गार्दी कटौना  
पता- कटौना, थाना- बगल, जिला: जमुई (बिहार) में रहेगा ।  
यदि नियंत्रित कार्यालय के पता में कोई परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर नियंत्रण महानिरीक्षक, बिहार पता को दी जायेगी ।
3. कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वष होगा ।
4. उद्देश्य : इस संस्था के विनाशोन्मुख उद्देश्य होंगे ।

सिद्धि  
सिद्धि

1. समाज के गरीब, अशिक्षित, विधवा, दलित, अल्पसंख्यक, अनाथ बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विधवा एवं परित्यक्ता महिला, के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयत्न करेगी ।
2. ज्ञान-विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए एवं बच्चों, युवाओं, युवतियों तथा गरीब लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए पुस्तकालय, गणकालय, खेल-मैदान कक्ष, अनाथालय, विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, गर्भवती शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन करेगी तथा जन-जन को साक्षर बनाने का प्रयत्न करेगी । गरीब एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तक एवं टांखन माफगी उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयत्न करेगी ।
3. समाज में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, जातिवाद, धर्मान्ता, आतंकवाद, शोषण, ~~हत्या~~ नशाखोरी, अश्लील युक्तियों, हत्या बलात्कार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, सामाजिक अपराध दहेज तथा बाल श्रमिक, महिला श्रमिक तथा अन्य सामाजिक कुरितियों को निराकरण हेतु जन चेतना का विकास करेगी तथा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, आदि का आयोजन कर जागरूकता का विकास करेगी ।
4. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अनाथ एवं शारीरिक क्षेत्रों में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेगी । प्राथमिक स्वास्थ्य सह उपचार केन्द्र, आरोग्यशाला, परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर, मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर एवं अन्य शिविर का संचालन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगी ।


SECRETARY  
BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

मिलान किया  
सिद्धि

Principal  
BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

5. असाध्य रोग यथा एड्स/एच.आई.वी, कैंसर, कालाजार, कुष्ठ, हेपेटाइटिस बी, एवं अन्य संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना तथा पीड़ित व्यक्तियों के लिए आवश्यक चिकित्सा, दवा, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा सभा, गोष्ठी, पत्र यात्रा, रैली आदि के माध्यम से संकथाम एवं उन्मूलन के लिए कार्य करेगी। साथ ही साथ मूक, बधिर, नेत्रहीन, मानसिक रूप से अधिकशिता बच्चों, व्यस्कों महिलाओं के लिए चिकित्सा, पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग की व्यवस्था कराने का हर संभव प्रयास करना।
6. शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, समय-समय पर शैक्षणिक विकास, साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन कर आम जनता का, ग्रामीण बच्चों एवं बालिकाओं को लाभान्वित कराने का प्रयास करना, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना लड़कियों के शिक्षा की विशेष व्यवस्था कराना एवं साक्षरता कार्यक्रम का संचालन करना।
7. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई, एप्लिक निर्माण, गुड़िया निर्माण, लघु उद्योग, कुटिर उद्योग, हस्त कला, शिल्प कला, मूर्ति कला, गृह उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, चर्म उद्योग, साबुन उद्योग, सर्फ उद्योग, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना तथा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करना।
8. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिकस, इलेक्ट्रीकल्स, रेडियो, टेलिविजन, मोबाईल, पंखा, कुलर, आशुलिपिक, टंकण कला, पेंटिंग, सौन्दर्य प्रसाधन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।
9. लोगों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी देना ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय, कम लागत के आवास शुद्ध पेयजल की सुविधा ग्रामीण सड़कों का निर्माण आवागमन की सुविधा, नालियों की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संचालन कर लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास करना।
10. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक उर्जा के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।
11. महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी, बच्चों के विकास के लिए बालवाड़ी, पालना घर एवं स्वयं सहायता समूह का संचालन करना, जानकारी देना तथा कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जागरूकता का विकास करना।

मिलान किया  
Jama



Principal

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI



SECRETARY

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम पता जीविका के साधन, शैक्षणिक प्रती एवं पदनाम नीचे दिया गया है वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

क्र०	नाम पिता/पति का नाम	पता	जीविका का साधन	शैक्षणिक योग्यता	पदनाम
1.	घुव कुमार सिंह पिता :- स्व० दामोदर प्रसाद सिंह	ग्राम - गादी कटौना पो० - कटौना थाना - वरहट, जिला - जमुई	अधिवक्ता	B.A/LLB	अध्यक्ष
2.	अनिल कुमार सिंह पिता :- स्व० दामोदर प्रसाद सिंह	ग्राम - गादी कटौना पो० - कटौना थाना - वरहट, जिला - जमुई	व्यपार	B.E Engg.	सचिव
3.	मुकेश कुमार सिन्हा पिता :- नरेश कुमार सिन्हा	ग्राम - धर्मरायचक पो० - लखीसराय जिला - लखीसराय	व्यपार	M.BA	कोषाध्यक्ष
4.	पंकज कुमार सिंह पिता - स्व० गणेश प्रसाद सिंह	ग्राम - वावू टोला महिसौड़ी चौक पो० - जिला - जमुई	व्यपार	B.A	सदस्य
5.	नंद जी कुमार सिंह पिता - स्व० उदय नारायण सिंह	ग्राम - गादी कटौना पो० - कटौना थाना - वरहट जिला - जमुई	कृषि	B.A	सदस्य
6.	धर्मेन्द्र कुमार झा पिता - श्री वीरेन्द्र झा	ग्राम - बम्बई कॉलोनी जमुई पो०, जिला - जमुई	कृषि	B.A	सदस्य
7.	सचिन कुमार पिता - बलदेव भगत	ग्राम - शितला कॉलोनी पो०, जिला - जमुई	कृषि	B.A	सदस्य
8.	निरंजन कुमार सिंह पिता - चंद्रमोहन सिंह	ग्राम - गादी कटौना पो० - कटौना थाना - वरहट जिला - जमुई	कृषि	B.A	सदस्य
9.	रोहित सिंह पिता - रमानंद सिंह	ग्राम - गादी कटौना पो० - कटौना थाना - वरहट जिला - जमुई	कृषि	B.A	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

मिलान किया  
Jamu

SECRETARY

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

हस्ताक्षर :-

पद :-  
पता :-  
Principal

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

Principal

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम पता, जीविका के साधन एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है वर्तमान के स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं।

क्र०	नाम पिता/पति का नाम	पता	जीविका का साधन	हस्ताक्षर
1.	घुव कुमार सिंह पिता :- स्व० दागोदर प्रसाद सिंह	ग्राम :- गादी कटौना, पो० :- कटौना थाना - वरहट, जिला :- जमुई	अधिवक्ता	घुव कुमार सिंह
2.	अनिल कुमार सिंह पिता :- स्व० दागोदर प्रसाद सिंह	ग्राम पो० :- कटौना थाना - वरहट, जिला :- जमुई	व्यपार	
3.	मुकेश कुमार सिन्हा पिता :- नरेश कुमार सिन्हा	ग्राम :- धर्मरायचक पो०- लखीसराय जिला - लखीसराय	व्यपार	Mukesh Kumar Singh.
4.	पंकज कुमार सिंह पिता - स्व० गणेश प्रसाद सिंह	ग्राम :- बावू टोला महिसौड़ी चौक जिला - जमुई	व्यपार	
5.	नंद जी कुमार सिंह पिता - स्व० उदय नारायण सिंह	ग्राम :- गादी कटौना, पो० :- कटौना, थाना वरहट जिला - जमुई	कृषि	Nand Kumar Singh
6.	धर्मन्द्र कुमार झा पिता - श्री वीरेन्द्र झा	ग्राम :- बगई कॉलोनी जमुई पो०- जमुई जिला - जमुई	कृषि	
7.	सचिन कुमार पिता - बलदेव शर्मा	ग्राम :- शितला कॉलोनी पो० - जमुई जिला - जमुई	कृषि	
8.	निरंजन कुमार सिंह पिता - चंद्रगोहन सिंह	ग्राम - गादी कटौना पो० - कटौना थाना - वरहट जिला - जमुई	कृषि	
9.	रोहित सिंह पिता - रमानंद सिंह	ग्राम - गादी कटौना पो० - कटौना थाना - वरहट जिला - जमुई	कृषि	Rohit Singh

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

प्रमाणित किया  
जाता है

हस्ताक्षर :-

पद :-

पता :-

SECRETARY

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

Principal

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

# ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान

## की नियमावली

- 1) संस्था का नाम : ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान
- 2) परिमाप
  - क) संस्था से अभिप्राय है : ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान
  - ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
  - ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
  - घ) वर्ष से अभिप्राय है : 1 त्री अप्रैल से 31 मार्च तक ।
  - ड) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 ।

### 3) सदस्यता :

- क) कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हों एवं संस्था के प्रति निष्ठा रखते हों वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 100/- रुपये प्रवेश शुल्क एवं 10/- रुपये मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

### 4) सदस्यता की समाप्ति :

- निम्न परिस्थितियों में संस्था से सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी :
- क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
  - ख) पागल या नृत्यु होने पर ।
  - ग) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
  - घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
  - छ) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
  - ज) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।

### 5) कार्यकारिणी समिति का गठन :

- क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 7 (सात) सदस्य होंगे ।
- ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा
- ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा ।
- घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव कराना होगा । मनोनित सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया हो।

मिलान किया  
Pamr

SECRETARY

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

Principal  
BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

6) पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

- क) संस्था की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ख) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
- ग) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव :

- क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
- ङ) संस्था के आय-व्यय का अंकक्षण करना ।
- च) अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना ।
- छ) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना ।
- ज) संस्था के हित में कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :

- क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ख) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
- ग) आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 1000/-रु० तक रखना तथा विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य सम्पादित करना ।
- घ) संस्था के कोष को किसी नियमित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना ।


7) कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

- क) संस्था के चल या अपल सम्पत्ति का उत्तरदायी होगा ।
- ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विनियमित करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
- ग) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य सम्पादित करना ।
- घ) उपशाखा का निर्माण करना ।
- ङ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार-विमर्श करना ।
- च) संस्था के प्रति होने वाली निन्दणों को बरकरार रखना ।
- छ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

मिलान किया  
4/11/21

  
SECRETARY

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

  
Principal

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

- 8) आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :  
क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।  
ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।  
ग) अंकेषक की नियुक्ति करना ।  
घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।
- 9) वैठक :  
क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।  
ख) आम सभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होगी ।  
ग) कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।  
घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।
- 10) प्रार्थित बैठक :  
1/3 सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन में विचारणीय विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते हैं।
- 11) बैठक की सूचना :  
क) कार्यकारिणी समिति कभी बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी ।  
ख) आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिनों पूर्व दी जायेगी ।  
ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।  
घ) आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी ।  
ङ) बैठक की सूचना, सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर वा डाक द्वारा सदस्यों को दी जायेगी ।
- 12) कोरम (गणपूर्ति) :  
प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी तथा स्थगित बैठक के लिये पुनः कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 13) आय का स्रोत :  
क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।  
ख) सरकारी, गैरसरकारी, दान, अनुदान एवं सहायता ।  
ग) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से ।
- 14) कोष का संचालन :  
संस्था की सभी राशियाँ संस्था के नाम खुले डककर में/या बैंक खाता में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी एवं रख-रखाव अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

मिलान किया  
५/१२/२०

SECRETARY

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

Principal

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

15) निधि का अंकेक्षण :

- क) संस्था के आम-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रत्येक वर्ष निधि का अंकेक्षण कराया जायेगा ।
- ख) निबंधन महानिरीक्षक पंजी भी अपने विवेक से संस्था की निधि का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त अंकेक्षक से करा सकते हैं और इस हेतु अंकेक्षक का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

16) पंजी का निरीक्षण :

संस्था की सभी पंजियों निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी , लेखा पंजी एवं कारवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

17) नियमावली में संशोधन :

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

18) कानूनी कार्रवाई :

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19) विघटन एवं विघटनोंपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था :

- क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा-13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।
- ख) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।
- ग) संस्था के विघटनोंपरांत जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बाँटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

शुभं कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

मुकेश कुमार सिन्हा

सचिव

अजित सिंह

मिलान किशोर

Principel

*(Signature)*

10.11.09

SECRETARY

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI

Principel

BLACK DIAMOND PUBLIC SCHOOL  
GADI KATOUNA, JAMUI